न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टिए/2537/2004/हनुमानगढ

हरीराम पुत्र तुलसीराम, जाति नाई, निवासी नहराना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री वी0पी0 सिंह, राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 14.11.2018

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रकरण अपील संख्या 157/2002 शीर्षक हरीराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–05–2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/वर्तमान अपील के अपीलार्थी की ओर से सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0 के विरुद्ध इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि रोही मौजा नहराना, तहसील नोहर की 6 बीघा भूमि वादी की करीब 35 वर्ष पूर्व की नोतोड कर निकाली हुई कब्जा काश्त की है। पैमाइश में हाल में वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 266 की 91–8 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। यह भूमि वादी के खेत खसरा नम्बर 274 की 28–5 बीघा के चिपते हुए है। यह वादग्रस्त भूमि पाइतन है जो लगातार वादी के कब्जा काश्त में है लेकिन काबिल काश्त भूमि है। प्रतिवादी वादी के खिलाफ तावान, बेदखली व नाजायत काश्त की कार्यवाही कर रहा है। अतः दावा वादी डिक्री किया जा कर खसरा नम्बर 266 की 6 बीघा पूर्वी दक्षिणी हिस्सा का वादी को काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाये और प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि प्रश्नगत भूमि पर वादी के खिलाफ बेदखली, तावान की कार्यवाही नहीं करें। सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी (राजस्व),

नोहर ने निर्णय दिनांक 19–10–2002 से वादी का वाद खारिज किया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 14–05–2004 से अपील खारिज की है। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में उज्र लिया कि रोही मौजा नहराना, तहसील नोहर की 6 बीघा भूमि वादी की करीब 35 वर्ष पूर्व की नोतोड कर निकाली हुई कब्जा काश्त की भूमि है जो पैमाइश में हाल में खसरा नम्बर 266 की 91–8 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। यह भूमि वादी के खेत खसरा नम्बर 274 की 28–5 बीघा के चिपते हुए है। वादी–अपीलार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु मौखिक साक्ष्य पी0ड01 हरीराम, पी0ड0 2 मनीराम, पी0ड0 3 हरदत्त की परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपने पक्ष को बखूबी साबित किया है। रैस्पे0 पक्ष की ओर से भी प्रश्नगत भूमि पर हमारे कब्जे काश्त को स्वीकार किया है। अतः वादी का वाद पुराना कब्जा काश्त होने से डिक्री योग्य था जिसे अविधिक रुप से खारिज किया गया है और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को गलत प्रकार से पुष्ट किया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि जब वाद में जबाबदावा आ चुका था तो परीक्षण न्यायालय को विधिवत तनकियात कायम करने के उपरान्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से विवेचित करते हुये आदेश 20 नियम 5 की अनुपालना करते हुये निर्णय करना चाहिए था, जिसका कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री में अभाव रहा है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय नियमों व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से, निरस्त किए जावें और अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

5– प्रत्यर्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया है किन्तु वादी प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है, वादी का यदि किसी प्रकार का कब्जा माना भी जाए तो भी उसकी हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की ही रहती है। प्रश्नगत भूमि गै0मु0 पाइतन की भूमि रही है जो कि जल प्रयोजन की भूमि रही है और अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार इस किस्म की भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं। अतः वादी का वादी चलने योग्य नहीं रहा है। वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा चाहते हैं किन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी प्रकार का वाद डिक्री योग्य नहीं रहता है, यह बिन्दु माननीय राजस्व मण्डल की वृहत्तर पीठ तक से तय किया जा चुका है। अतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का किसी प्रकार का प्रकरण नहीं बनता है और ना ही किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार उद्भूद होते हैं। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने वादपत्र एवं अपील को खारिज

करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं की है। अपीलार्थी द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7– प्रकरण मे परीक्षण करने पर पाया जाता है कि वादी/वर्तमान अपील के अपीलार्थी की ओर से खसरा नम्बर 266 की 6 बीघा पूर्वी दक्षिणी हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है और वादपत्र में प्रश्नगत भूमि को **गै0मु0 पाइतन** की भूमि होना अंकित किया गया है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2053–56 प्रदर्श पी.2, जमाबंदी सम्वत् 2045, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2046–49 एवं अन्य राजस्व रिकार्ड से भी प्रश्नगत भूमि गै0मु0 पाइतन की भूमि होने की पुष्टि होती है। गै0मु0 जोहड की भूमि किसी नदी या तालाब के तल की भूमि होती है और अधिनियम, 1955 की धारा 16(ii) के तहत ऐसी भूमियों में आती है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं। वादी पक्ष की ओर से प्रतिकूल कब्जा बताते हुये इसी के आधार पर वाद दायर किया गया है, किन्तु यदि प्रश्नगत भूमि पर एक बार के लिए वादी का कब्जा मान भी लिया जाए तो भी वह विधिक कब्जा नहीं हो कर राजकीय भूमि पर बतौर अतिचार कब्जा ही माना जाएगा, और अतिचारी को किसी प्रकार के विधिक स्वत्व अर्जित नहीं हो सकते है। अधिनियम, 1955 के तृतीय अनुच्छेद में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है। माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने 2018 आर0बी0जे0 पेज 153 पर इस आशय का मत व्यक्त किया है :

(B)RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- Section 63- Adverse possession- On the basis of adverse possession khatedari rights cannot be granted on agricultural land under Rajasthan Tenancy Act.

माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर आर टी 2011(2) पेज 721 में भी स्पष्ट मत प्रतिपादित किया जा चुका है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।

8– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है और इस निर्णय की पुष्टि करने में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी कोई भूल नहीं की है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा प्रकरण में विस्तार से विवेचन करते हुये, प्रकरण की विवादवस्तु पर प्रकाश डालते हुये, निर्णय पारित किये हैं, इन निर्णयो में हमें किसी प्रकार की तथ्यों सम्बन्धी त्रुटि होना या विधि की व्याख्या किए जाने सम्बन्धी किसी प्रकार की भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता

है। RBJ (16) 2009 page 725 DB BOR, RBJ (14) 2007 page 35 RHC में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि निर्णयों में स्पष्ट रुप से नजरी आने वाली ऐसी कोई भूल नहीं रही हो जिससे नियमों की अवहेलना की जाना पाया जाता हो। वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायाालयों के निर्णयों में होना स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के स्तर पर किया जाना न्यायोचित नहीं होने से, हस्तगत अपील सारहीन पाये जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष